भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान,
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई (देहरादून) – 248011

पत्रांक 785 /5(1)/SCF/Store/FP/2019-20 दिनांक: 10.08.2021

गेहूं का नीलामी नोटिस

इस संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में 48.14 **कुंतल गेहूं की खुली नीलामी दिनांकः 30.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन** में की जायेगी। इच्छूक बोलीदाता इस नीलामी में भाग ले सकते है।

विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तो हेतु कृपया संस्थान की वेबसाईट **www.cswcrtiweb.org** देखे।

इस संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में 48.14 कुंतल गेहूं की खुली नीलामी दिनांक: 30.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे की जानी है। इस नीलामी की नियम व शर्ते निम्न प्रकार से हैः––

1. गेहूं की खुली नीलामी दिनांकः 30-08-2021 को प्रातः 11.00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। जो भी बोलीदाता प्रातः 11.00 बजे नीलामी में उपस्थित होगें उन्हे ही बोली लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रातः 11.00 बजे के पश्चात किसी भी बोलीदाता को भवन में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।
2. गेहूं की खुली नीलामी जैसी है जहां है के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात गेहूं की गुणवत्ता से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नही किया जायेगा।
3. इच्छूक बोलीदाता गेहूं का निरीक्षण कार्य दिवस में दिनांक 12.08.2021 से 30.08.2021 तक 10:00 बजे से 4:00 के बीच कर सकते है।
4. बोलीदाता को नीलामी कक्ष में प्रवेश से पहले ई0एम0डी की धनराशि रू0 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र) का डिमाण्ड **ड्राफ्ट** जो की निदेशक (भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून) के पक्ष हो अथवा नकद रूप में जमा कराना होगा। ई0एम0डी की धनराशि जमा नही कराने की अवस्था में नीलामी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी। इसके साथ वह अपने आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति भी प्रस्तुत करेंगें।
5. एक ई0एम0डी की धनराशि के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
6. असफल बोली दाता को ई0एम0डी0 की राशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल बोलीदाता की ई0एम0डी संस्थान में धरोहर राशि के रूप में जमा कर लिया जायेगा जिसे गेहूं उठाने की अन्तिम तिथि के पश्चात् 60 दिन पूर्ण होने पर वापस कर दिया जायेगा। ई0एम0डी0 की धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
7. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा। तथा नीलामी उनके पक्ष मे अनुमोदित की जायेगी।
8. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत अथवा पूर्ण धनराशि बोली के तुरन्त पश्चात उसी दिन व शेष 75 प्रतिशत धनराशि सात दिवस के भीतर **डिमांड** ड्राफ्ट **/पी0ओ0एस0** मशीन **अथवा NEFT/RTGS के माध्यम से संस्थान के खाते में जमा** कराना होगा।
9. सफल बोलीदाता को शेष धन राशि नीलामी तिथि के सात दिवस के भीतर जमा नहीं कराने की अवस्था में उनके पक्ष में अनुमोदित नीलामी रद्द मानी जायेगी तथा उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनके नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।

10. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात नीलामी किये गये **गेहूं को 15 दिवस के भीतर** अनुसंधान प्रक्षेत्र के बाहर ले जाना होगा, गेहूं उठाने की अन्तिम तिथि नीलामी ठेका आंवटन आदेश में लिख दी जायेगी।
11. नीलामी के पश्चात नीलाम किये गये गेहूं को बाहर ले जाने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। संस्थान द्वारा इसमे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
12. सफल बोलीदाता द्वारा दिये गये समय में गेहूं न उठाने पर कुल नीलामी राशि के आधा (½) प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पेनेल्टी /गोदाम किराये के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा तथा पेनेल्टी भुगतान के साथ माल उठाने की अधिकतम सीमा 10 दिवस होगी, इसके बाद भी यदि बोलीदाता माल उठाने में असफल रहता है तब ऐसी स्थिति में इस नीलामी को रदद कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी एंव शेष बचे माल यदि कोई रहा हो को भी जब्त कर लिया जायेगा। जिसके लिए बोलीदाता स्ंवय पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

13. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगायें जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी।

14. सफल बोलीदाता द्वारा गेहूं को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य, कार्य–दिवस में प्रातः 09–00 बजे से 04–00 बजे के बीच ही कराना होगा ।
15. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा माल को फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई मे होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरूद्व उचित कार्यवाही की जायेगी।
16. नीलाम किये गये गेहूं को प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने के दौरान सफल बोलीदाता अथवा इसके कर्मचारी अथवा वाहन को होने वाले किसी भी क्षति की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
17. यदि नीलामी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस में उसी समय आयोजित की जायेगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।
18. सभी बोलीदाताओं को कोविड–19 की गाईड लाइन के तहत परिसर में मास्क, हैंड सेनिटाईजर व दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. निदेशक, भा0कृ0अ0प0–भारतीय मृदा एंव जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रकिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

प्रक्षेत्र अधीक्षक